राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–6530/2022

बदन सिंह (कर्मचारी आई.डी.– आरजेबीपी199307014563)

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 30.12.2022
आदेश की दिनांक : 09.01.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 20.06.2022 को गैर विनिर्दिष्ट क्षेत्र (नॉन टी.एस.पी.) में कार्यरत कृषि पर्यवेक्षकों की दिनांक 01.04.2022 की स्थिति के अनुसार अंतरिम वरिष्ठता सूची जारी की थी एवं उक्त वरियता सूची के संबंध में आपत्तियां मांगी गई थी। अंतरिम वरियता सूची में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 526 पर रखा गया था एवं अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्ति गोविन्द सिंह का नाम क्रम संख्या 369 पर रखा गया था। अपीलार्थी से ठीक ऊपर जो व्यक्ति विष्णु प्रसाद नियुक्ति के वक्त थे, उनका नाम क्रम संख्या 365 पर रखा गया था। उक्त अंतरिम वरियता सूची के संबंध में अपीलार्थी ने अपनी आपत्ति प्रस्तुत की थी, जो अनुलग्नक–4 एवं 5 है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी की आपत्तियों पर गौर नहीं किया और वरियता सूची दिनांक 27.10.2022 (अनुलग्नक–1) जारी की। जिसमें भी अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 515 पर रखा गया और विष्णु प्रसाद का नाम क्रम संख्या 362 व अपीलार्थी से कनिष्ठ का नाम क्रम संख्या 366 पर रखा

गया। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग ने ठीक प्रकार से वरियता सूची जारी नहीं की है। गलत वरियता सूची के आधार पर असिसटेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही की जा रही है, जो उचित नहीं है।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे एवं अभ्यावेदन के निस्तारण तक डीपीसी का आयोजन न किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यह भी आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी के उक्त अभ्यावेदन के निस्तारण से पूर्व डीपीसी का आयोजन न किया जावे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)